# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 40 / 2016 तारीख रजु 04.03.2016

**उनवान**

1. उण्डीराम पुत्र जयकिशन जाति मीना बगैरह निवासी सिकरौदा मीना तह0 हिण्डौन जि0 करौली

------वादी

**बनाम**

1.मूर्ति मन्दिर ठाकुरजी हिण्डौन सिटी जरिये तहसीलदार,तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

------प्रतिवादी

उपस्थितिः–
वादी की ओर से :– कोई उपस्थित नही।
प्रतिवादी की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 03.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1253,1254,1255,1256,1257,1258, 1259, 1260,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278, 1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1307,1308,1309,1310,782,783,784,785,786,787,789,790,791,792,793,794,795,1252 के दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेद्याज्ञा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार–बार आवाज दिलाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 40 / 2016 उण्डीराम बनाम मूर्ति मन्दिर ठाकुरजी अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03.01.2020
(सुरेश कुमार यादव )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 12:09:47 IST
Reason: SelfAttested